**भारत सरकार**
**परमाणु ऊर्जा विभाग**
**09.03.2016 को लोक सभा में**
**पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 1873.**

**नाभिकीय ऊर्जा नीति**

1873. **श्री दुष्यंत चौटाला :**

**क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) **क्या सरकार ने वर्ष 2032 तक नाभिकीय ऊर्जा के 63,000 मेगावाट के लक्ष्य के साथ समेकित ऊर्जा नीति बनाई है;**

(ख) **यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

(ग) **क्या सरकार ने इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2032 तक ऊर्जा के प्रतिशत में वृद्धि की भी योजना बनाई है; और**

(घ) **यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा वर्ष 2032 तक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कितने नाभिकीय संयंत्रों की योजना बनाई है?**

**उत्तर**

**राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय ( डॉ. जितेन्द्र सिंह ) :**

(क) तथा (ख) **वर्ष 2006 में तैयार की गई 'समेकित ऊर्जा नीति' के अंतर्गत, वर्ष 2032 तक 63,000 मेगावाट नाभिकीय विद्युत क्षमता हासिल करने की परिकल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में प्रस्तुत 'इंटेंडिड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन' (आईएनडीसी) के अंतर्गत यह उल्लेख भी किया था कि, यदि ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है तो, वर्ष 2032 तक 63 गीगावाट स्थापित क्षमता हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।**

(ग) **विद्युत उत्पादन में नाभिकीय विद्युत का प्रतिशत हिस्सा, स्थापित क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही बढ़ने की आशा है।**

(घ) **वर्तमान स्थापित क्षमता के अंतर्गत, कुल 5780 मेगावाट क्षमता वाले 21 नाभिकीय विद्युत रिएक्टर आते हैं। 1500 मेगावाट क्षमता वाले दो रिएक्टर, कमीशनिंग की प्रगत अवस्था में हैं, और 2800 मेगावाट क्षमता वाले चार रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। 3400 मेगावाट क्षमता वाले अन्य चार रिएक्टरों को वित्तीय संस्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार ने, नाभिकीय विद्युत क्षमता में वृद्धि करने के लिए कई सामर्थ्यकारी कदम उठाए हैं। भविष्य में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों, और विदेशी तकनीकी सहयोग दोनों पर आधारित रिएक्टरों को स्थापित करने हेतु स्थलों के लिए "सिद्धांतत:" अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। सरकार ने, ईंधन की आपूर्ति सहित नाभिकीय सहयोग के लिए दूसरे देशों के साथ सामर्थ्यकारी करारों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन**

किया गया है ताकि, 'सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के संयुक्त उद्यम' नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को स्थापित कर सकें। जिन स्थलों को 'सिद्धांततः' अनुमोदन प्रदान किया गया है, वे निम्नानुसार हैं :

| स्थल तथा अवस्थिति | क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|
| **स्वदेशी रिएक्टर** | |
| गोरखपुर, हरियाणा | 4 x 700 |
| चुटका, मध्य प्रदेश | 2 x 700 |
| माही बांसवाड़ा, राजस्थान | 4 x 700 |
| कैगा, कर्नाटक | 2 x 700 |
| भीमपुर, मध्य प्रदेश | 4 x 700 |
| कलपाक्कम, तमिलनाडु | 2 x 600 |
| **विदेशी सहयोग से स्थापित किए जाने वाले रिएक्टर** | |
| कुडनकुलम, तमिलनाडु | 4 x 1000$ |
| जैतापुर, महाराष्ट्र | 6 x 1650 |
| कोव्वाडा, आंध्र प्रदेश | 6 x 1000* |
| छाया मीठी विरदी, गुज़रात | 6 x 1000* |
| हरिपुर, पश्चिम बंगाल | 6 x 1000* |

* नाममात्र क्षमता $ केकेएनपीपी 1 तथा 2 के अतिरिक्त

*******